

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सर्वाई माधोपुर
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- बिन्जारी

प्रकरण संख्या:- 21/2025

दिनांक:- 24/6/2025

श्री हरकेश पुत्र कन्हैया
श्रीना नि. काव्योली

संबल

बसंत

सरकार जमिने तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सर्वाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का बिन्जारी भू अ. जि. आदलगाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशेषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम आदलगाड़ा पो. ह. बिन्जारी की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 06 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	रहन	<u>कार्पे रेशनु बैठ</u> <u>शास्त्रा चौथ का</u> <u>बरवाड़ा</u>	<u>शुनियन बैठ</u> <u>शास्त्रा चौथ का</u> <u>बरवाड़ा</u>

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सर्वाई माधोपुर को भेजकर लेखक आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री हरकेश पुत्र कन्हैया श्रीना नि. काव्योली
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सं. मा. 0)



उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी